कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

ओएलएक्स पर गाडी बेचने का झांसा देकर ठगी करने के प्रयास में

दो जनों को अवैध हथियार सहित धर दबोचा

जयपुर 10 अगस्त। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल टांक ने बताया कि थाना कामां के थानाधिकारी श्री राकेश कुमार काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ओएलएक्स पर स्विफ्ट बीडीआई गाडी नम्बर आरजे 05 सीबी 2233 को सस्ते दामों में बेचने का का विज्ञापन डाला हुआ है। परन्तु उक्त गाडी चौकी धिलावटी पर तैनात स0उ0नि0 श्री हरभानसिंह की है।

उन्होंने बताया कि उक्त जानकारी पर थानाधिकारी द्वारा जाल बिछा कर सम्पर्क मोबाईल नम्बर पर वार्ता की और आरोपियों को सर्किट हाऊस चौराहा कस्वा कामां में सादा बर्दी में तैनात पुलिस कार्मियों द्वारा जाल विछा कर मौके से आरोपी शाकिर पुत्र सहाबुद्दीन जाति मेव निवासी नौगांवा थाना जुरहरा व तथा फैशन पुत्र ईस्माइल खां जाति मेव निवासी समधारा थाना जुरहरा को घेरा देकर दबोच लिया जिनकी तलाशी के दौरान कब्जे से दो मोटरसाईकिलें, एक कट्टा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर मिले जिन्हें जप्त कर आरोपियों को गिरफतार किया गया है। इस सम्बन्ध थाना मु0नं0 346/17 धारा 420, 364ए, 379, 411 भा0द0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार

थाना जुरहरा के गांव थलचाना थाना जुरहरा निवासी इस्लाम पुत्र सुलेमान जाति मेव ने गांव के ही कमरूद्दीन 17 जनों के विरूद्ध एकराय होकर प्रार्थी व परिजनों के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट कर अयूब को घायल करने जिससे उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने का एक मामला 20 जून 2017 को थाना जुरहरा पर मु0नं0 162/17 धारा 302, 120बी भा0द0सं0 में पंजीबद्व कराया था।

थानाधिकारी श्री राजेश गौतम उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त मामले के नामजद आरोपी सुबदीन उर्फ सुब्बी पुत्र नक्कू हाजी व मौहम्मद खां पुत्र जमालुद्वीन जातियान मेव निवासी थलचाना थाना जुरहरा को गिरफतार किया गया है।

राही/ सन्तरा/588/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कुख्यात ईनामी अपराधी विकास गुर्जर साथियों सहित गिरफ्तार

जयपुर 10 अगस्त। झालावाड के कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा आज गुरूवार को अपराधियो की धड़पकड़ अभियान में तहत कुख्यात ईनामी अपराधी विकास गुर्जर व उसके 6 साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर द्वारा चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की धड़पकड़ अभियान में पुलिस अधीक्षक झालावाड़ श्री आनन्द शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित एवं वृताधिकारी झालावाड़ श्री छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व मे कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा वांछित इनामी अपराधी **विकास पुत्र रामनारायण गुर्जर नि0 नला मोहल्ला झालावाड़ तथा** अन्य साथी भोरसिंह उर्फ भोरु पुत्र कमल सिंह गुर्जर, अशोक पुत्र बाबुलाल गुर्जर, सुगन सिंह पुत्र धीरज सिंह राजपूत, राजेश पुत्र श्रीकृश्ण रेगर, अभिशेक पुत्र दिलीप कुमार सिन्धी व गजेन्द्र पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासीगण झालावाड़ को गिरफ्तार किये गये है।

श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि अपराधी विकास गुर्जर थाना कोतवाली झालावाड़ के प्रकरण में फरार चल रहा था तथा थाना खानपुर के प्रकरण मे नामचीन अपराधी नन्दू शुटर के साथ पिछले दिनों खानपुर फायरिंग प्रकरण में अपराध घटित करने के उपरान्त फरार चल रहा था। जिसपर दोनों प्रकरण में 2000/–रू0 का ईनाम जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा घोषित था।

उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर उक्त अपराधी को कस्बा झालावाड़ की कालीदास कॉलोनी, कच्ची बस्ती से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अपराधी को थाना कोतवाली के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। विकास गुर्जर के खिलाफ कुल 18 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है।

शेरू सिंह उर्फ शेरू गुर्जर के विरूद्ध 6 प्रकरण दर्ज है। अशोक गुर्जर के विरूद्ध भी 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान हुए है तथा उक्त शेर सिंह उर्फ शेरू गुर्जर पूर्व में हमजा शेरवानी की हत्या के प्रकरण में नामजद अपराधी होकर पूर्व में गिरफ्तार हुआ है।

राही/ सन्तरा/589/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

फागी थाने में तोड़फोड़ एवं आगजनी कर राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुचानें के आरोप में 32 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार

जयपुर, 10 अगस्त। जयपुर ग्रामीण जिले के थाना फागी पुलिस ने वर्ष 2013 में थाने पर पथराव कर जप्तशुदा वाहनो में तोड़फोड़ एवं थाने पर खड़ी मोटर साईकिलो को आग लगाकर राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुचानें एवं पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को चोट कारित करने के आरोप में 09 अगस्त,2017 को 32 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जो सांभर जेल में है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 20 अगस्त,13 को सरपंच फागी श्री सीताराम के नेतृत्व में 200–250 आदमियों ने थाने पर पथराव किया, थाने के गेट को तोड़ने की कोशिश की व जप्तशुदा वाहनो में तोड़फोड़ कर थाने पर खड़ी मोटर साईकिलो को आग लगाकर राजकीय सम्पत्ति को क्षति कारित की थी। इस सम्बन्ध में श्री रतनसिंह उ.नि. पुलिस थाना फागी की रिपोर्ट पर 62 नामजद व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना फागी में अभियोग संख्या 317/13 पंजीबद्ध किया गया।

श्री सिंह ने बताया कि इस पर अभियोग पंजीबद्व कर प्रारम्भिक अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा प्रारम्भ किया **गया**। तदुपरान्त प्रकरण का अनुसंधान सीआईडी, अपराध शाखा जयपुर द्वारा किया गया। प्रकरण में सम्पूर्ण तफ्तीश के आधार पर 62 व्यक्तियों के खिलाफ जुर्म धारा 147,148,149,332,353,336,436,283, 337,109,34 भा.द.सं. व 3 पी.डी. पी.पी. एक्ट का अपराध प्रमाणित हुआ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने बताया कि पूर्व में 18 मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये थे जो न्यायालय से जमानत पर है। एक मुल्जिम जगदीश गुर्जर पुत्र गंगाराम गुर्जर (55) निवासी फागी जयपुर के उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत होने पर जमानत मुचलके तस्दीक किये गये।

श्री सिंह ने बताया कि शेष मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिये गम्भीरता से प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं। मुकदमें में 10 मुल्जिमानों की गिरफतारी शेष है, जिन्हें शीघ्र गिरफतार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जावेगा।

राही/ मनीष//2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।